पत्रांक–2/एम०–78/2018– 999(2)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

जगदीश कुमार
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक,स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार ।
प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/मुजफ्फरपुर /भागलपुर।
क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, दरभंगा, पटना मुजफ्फरपुर एंव भागलपुर।
सभी अधीक्षक/प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।
निदेशक, लोकनायक जय प्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना/न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पअना/मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर/फिल्ड डिमोन्सट्रेशन सेन्टर, राजगीर/यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा एवं पटना/लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।
अधीक्षक, गुरूगोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना/संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना/ लेडि एल्गिन जनाना अस्पताल, गया/एम०जे०के० अस्पताल, बेतिया

पटना, दिनांक 30/04/2019

विषय : बिहार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत कार्यरत नियमित चिकित्सा पदाधिकारियों (सामान्य एवं विशेषज्ञ) की सूची के प्रकाशन एवं आपत्ति के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत नियमित चिकित्सा पदाधिकारियों (सामान्य एवं विशेषज्ञ) की नियुक्ति के क्रम में वर्त्तमान में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों की सूची (विहित प्रपत्र में) की माँग आपसे की गई थी। उक्त आलोक में विभिन्न कार्यालयों/संस्थानों से प्राप्त सूची को संकलित किया गया तथा अग्रेतर समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय आरक्षण कोटियों में अनुमान्यता से अधिक चिकित्सक कार्यरत दर्शाएँ गए, जो प्रथम द्रष्टया ग्राह्य प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगभग सभी नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ संख्या में सामान्य वर्ग में चयनित/अनुशंसित होते रहे है। ऐसी स्थिति में वैसे सभी चिकित्सा पदाधिकारी जो आरक्षित कोटि के है परन्तु जिनका अनुशंसा/नियुक्ति सामान्य वर्ग की रिक्ति के विरुद्ध की गई है तो ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के अनुरूप सामान्य कोटि के ही माने जायेंगे।

फलस्वरूप इन विसंगतियों/त्रुटियों को दूर करने हेतु प्रधान सचिव द्वारा विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से इसके सुधार हेतु आपको निदेशित किया गया एवं बाद में जिलावार तारीख तय कर इन विसंगतियों को दूर भी किया गया तथा पुनः कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों की जानकारी विहित प्रपत्र में संकलित की गई जिसमें चिकित्सकों के आरक्षण कोटि को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित करते हुए कार्यरत चिकित्सकों के संशोधित सूची एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त चिकित्सकों की नियुक्ति से संबंधित अनुशंसाओं को विभागीय वेबसाइड पर प्रकाशित किया जाता है।

अतएव उक्त आलोक में अनुरोध है कि विभागीय बेबसाइड पर प्रकाशित सूची को अपने स्तर से प्रचारित किया जाए। साथ ही उक्त सूची में यदि कोई त्रुटी/आपत्ति दृष्टिगत होता है तो उक्त आपत्ति को विभागीय ई० मेल आई०डी० health-bih@nic.in के माध्यम से दिनांक–09.05.2019 तक निश्चित रूप से दर्ज किया जाए ताकि आपसे प्राप्त आपत्ति के आलोक में प्रकाशित सूची को पुनः संशोधित किया जा सके। निर्धारित तिथि तक आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह मानते हुए की प्रकाशित सूची में कोई भी त्रुटी नहीं है, अग्रेतर कार्रवाई प्रारम्भ कर की जायेगी।

विश्वासभाजन,

(जगदीश कुमार)

D>Sec-2 2019 Later (M) 2019